संख्य-58/2016/102मंत्री/26-3-2016-10(16)/2014

प्रेषक,

विजय प्रसाद त्रिपाठी,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0,लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः28 मार्च 2016

विषयः-अति पिछड़े अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्राम के सर्वागींण विकास हेतु संचालित एकीकृत विकास योजना के अंतर्गत जनपद सिद्धार्थनगर के विकास कार्यो की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-1301-02/स.क./विकास/एकीकृत विकास योजना/2015-16, दिनांक-20.11.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अति पिछड़े अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्राम के सर्वागींण विकास हेतु संचालित एकीकृत विकास योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान सं0-83 के अंतर्गत जनपद-सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड-भनवापुर में विकास कार्यो हेतु कुल रूपया-494.060 लाख की निम्नलिखित विवरण के अनुसार प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुये रूपया-197.60 लाख की धनराशि को पुनर्विनियोग (संलग्न प्रपत्र बी.एम.-9) के माध्यम से स्वीकृति प्रदान करते हुये आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

जनपद-सिद्धार्थनगर

(रूपया लाख में)

क्र.सं.	ग्राम का नाम	विकास खण्ड का नाम	विकास कार्य	कार्य की लागत	स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	सेखुई गोवर्धन	भनवापुर	सी.सी.रोड़ एवं नाली निर्माण	99.360	39.00
2	अन्दुआ शनिचरा	"	सी.सी.रोड़ एवं नाली निर्माण	99.160	39.00
3	पेंडारी मुस्तहकम	"	सी.सी.रोड़ एवं नाली निर्माण	98.670	40.00
4	कठौतिया	"	सी.सी.रोड़ एवं नाली निर्माण	98.710	40.00
5	धनोहरि	"	सी.सी.रोड़ एवं नाली निर्माण	98.160	39.60
	कुल योग			494.060	197.60

(1)-निदेशक, समाज कल्याण द्वारा धनराशि सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी को आवंटित की जायेगी एवं जिलाधिकारी द्वारा धनराशि आहरित कर कार्यदायी संस्था को दी जायेगी। उक्त कार्य हेतु ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग को कार्यदायी संस्था नामित किया जाता है। कार्यदायी संस्था को धनराशि प्राप्त होने के तुरन्त बाद कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। कार्य के निर्माण में विलम्ब होने से यदि लागत में बृद्धि होती है तो इसके लिये निर्माण एजेन्सी उत्तरदायी होगी।

(2)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उन्ही कार्यो/मदों पर किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता होगी,जिसके लिए संबंधित जिले के जिलाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(3)-कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्यो की प्रस्तावित लागत को यथावत मानते हुए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। अतएव स्वीकृत की जा रही धनराशि से निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। प्रश्नगत निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं मात्राओं के संबंध में कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी/संबंधित जिलाधिकारी उत्तरदायी होगें।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4)-संबंधित जिलाधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत हैं और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में प्रस्तावित है।

(5)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का सम्पूर्ण उपभोग होने के उपरान्त कराये गये कार्यो का फोटोग्राफ के साथ जिलाधिकारी के माध्यम से उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा तदोपरान्त अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने पर यथासमय विचार किया जायेगा।

(6)-उपर्युक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद एवं शासन को प्रत्येक माह में उपलब्ध कराया जायेगा।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत लेखाशीर्षक- ''4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-01--अनुसूचित जातियों का कल्याण-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-10-अति पिछड़े अनुसूचित जाति समूहों के लिए एकीकृत विकास योजना-1003-सम्पर्क मार्ग का निर्माण-24-बृहद निर्माण कार्य" के सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा तथा व्यय संलग्न प्रपत्र बी-एम-9 (पार्ट-1) के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षको में उपलब्ध बचतों से पुर्नविनियोग कर वहन किया जायेगा।

यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक-30 मार्च 2015 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय

विजय प्रसाद त्रिपाठी

अनुसचिव

पृ0संख्या-58/2016/102 मंत्री(1)/26-3-2016 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1.महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद।
2.जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर।
3.कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
4.कोषाधिकारी, सिद्धार्थनगर।
5.अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रखण्ड, सिद्धार्थनगर।
6.जिला समाज कल्याण अधिकारी सिद्धार्थनगर।
7.वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
8.समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/गार्डफाइल।

आज्ञा से,

विजय प्रसाद त्रिपाठी

अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रपत्र–बी0एम0–9 (पार्ट–1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति
(सन्दर्भ: बजट मैनुअल का प्रस्तर–150)

अनुदान संख्या व नाम – 83 व अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना (समाज कल्याण विभाग) वित्तीय वर्ष 2015–2016 (धनराशि हजार रू0 में)

निम्नलिखित मदों से प्रस्तावित सक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक आयोजनागत	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन–पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	सक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा सक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	सक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2–5)
1	2	3	4	5	6
4235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय–02–समाज कल्याण–आयोजनागत–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–01–केन्द्र प्रायोजित योजनाएं–0101–आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण(के.75/रा.25–के.+रा.)–24–वृहत निर्माण कार्य–	200000	19760	19760	19760	180240
योग	200000	19760	19760	19760	180240

निम्नलिखित मदों में प्रस्तावित सक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक आयोजनागत	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में सम्भावित कुल व्यय	सक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9–8)	वित्त विभाग द्वारा पुनर्विनियोग सक्रमण की धनराशि	सक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
4225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–आयोजनागत–789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना–10–अति पिछड़े अनुसूचित जाति समूहों के लिए एकीकृत विकास योजना–1003–सम्पर्क मार्ग का निर्माण–24–वृहत निर्माण कार्य–	213483	233243	19760	19760	233243
योग	213483	233243	19760	19760	233243

1. स्तम्भ–3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:– स्तम्भ–1 में उल्लिखित लेखाशीर्षकों में बचत वास्तविक आवश्यकता के अनुसार है। संख्या–आय0व्य0– 472 /वसं–2016, दि0 22-3-2016

2. स्तम्भ–8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ–9 में अंकित व्यय निम्नलिखित कारणों से है:– अधूरे कार्यों को पूर्ण कराये जाने के कारण।

3. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर–150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

सेवा में,
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(विजय प्रसाद त्रिपाठी)
अनु सचिव
समाज कल्याण विभाग

22.3.16
(सुनील कुमार)
अनुभाग सचिव
समाज कल्याण विभाग।

संख्या– 58/2016/1029 (1)/26–3–2016–10(16)/2014–दिनांक 28 मार्च, 2016।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. निदेशक, बाल विकास एवं पुष्टाहार, उ0प्र0 लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर।
5. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. अपर निदेशक, वित्त, निदेशालय, बाल विकास एवं पुष्टाहार, उ0प्र0 लखनऊ।
7. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/कोषाधिकारी, सिद्धार्थनगर।
8. वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
9. जिला समाज कल्याण अधिकारी, सिद्धार्थनगर।
10. वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–3/वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 (दो प्रतियों में)
11. महिला कल्याण एवं बाल विकास अनुभाग–2/बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण
12. गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(विजय प्रसाद त्रिपाठी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।